न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 01/2017

GCMS No. : 2017/00015

प्रार्थी:–	बनाम	**अप्रार्थीगण :–**
अजय कुमार त्रिपाठी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर		1. फिरोज खान पुत्र वजीर खान अमूल मिल्क स्टॉल प्लेटफार्म नम्बर 2/3 रेल्वे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन पता काजीपुरा मोहल्ला मा0ज0 जिला पाली (एफबीओ) 2. अरविन्द गर्ग मिल्क स्टॉल प्लेटफार्म नम्बर 2/3 रेल्वे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन (Sub-licensee) 3. अशोक माथुर पुत्र गणपत लाल माथुर मिल्क स्टॉल प्लेटफार्म नम्बर 2/3 रेल्वे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन Branch Manager Gujarat Corp. Milk Mktg Fed. Ltd. 1st Floor 30 Shri Rampura Colony Civil Lines Jaipur 302006 Add. C-92 Malviya Nagar Jaipur 302017 4. प्रमोद कुमार चौरसिया दर्शन एजेन्सीज सिन्धी बाजार मारवाड जंक्शन पाली (प्रोपराईटर) पत्ता–1075 सत्यनारायण मन्दिर, मारवाड़ जंक्शन, पाली (राज.) 5. दर्शन एजेन्सीज सिन्धी बाजार मारवाड जंक्शन पाली (सप्लायर फर्म) 6. Branch manager Gujrat Milk mktg Fed Ltd 1 st Floor 30 Shri rampura colony civil lines jaipur 302006 Add C 92 Malviya nagar jaipur 302017 7. गुजरात कॉ आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि. शाखा, जोधपुर बासनी फेज II जोधपुर

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51 व 52"

उपस्थिति –

1. अप्रार्थी संख्या 01, 04 व 05 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 25/09/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी संख्या 2, 3, 6 एवं 7 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 4 एवं 5 की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना फाईल नम्बर 1 (42) 2011/रेल्वे/एफ. एस.एस.ए.आई (पार्ट–I) रेल्वे एफएसएसएआई दिनांक 28.03.2012 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और उत्तर पश्चिम रेल्वे के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र उनके कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी दिनांक 27.11.2015 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म Gujrat Coop. Milk Mktg Fed Ltd के अमूल मिल्क स्टॉल प्लेटफार्म नम्बर 2/3 रेल्वे स्टेशन मारवाड जंक्शन पहुंचा। जहां पर फिरोज खान पुत्र वजीर खान आमजन को खाद्य पदार्थ बेच रहा था। जिसे अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। स्टॉल का निरीक्षण करने पर पाया कि स्टॉल में Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers रखा पाया जिसे फिरोज खान यात्रियों को बेच रहा था। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर सरकारी जांच हेतु Dairy Based Drink Sterilised and Homegenised Amulkool Mango Shakers का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजूद नहीं होने से साथ आये गणपत एच के ए अधिन स्वास्थ्य निरीक्षक, जोधपुर को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers की 08 डिब्बा (केन) 200 एम.एल Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 240/– रूपये नकद फिरोज खान को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर फिरोज खान, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। स्टॉल से खरीदशुदा Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं फिरोज खान की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर फिरोज खान गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं डी.ओ. का कोड़ एवं सिरियल नम्बर एनडब्ल्युआर–187 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं फिरोज खान व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को गणपत एच. के. ए. अधीन सी.एच.आई जोधपुर द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। फिरोज खान ने उक्त नमुने के संबंध में अग्रिम खरीद व संबंधित सप्लायर निर्माता आदि के संबंध में दस्तावेज मांगने पर खरीद बिल व संबंधित सप्लायर निर्माता से संबंधित दस्तावेज पेश करने मे असमर्थता व्यक्त की। फिरोज खान की दुकान से लिया गया नमुना संख्या एनडब्ल्युआर–187 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1019/एक्ट/2015/1019 दिनांक 21.12.2015 के अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) एवं Substandard (अवमानक) पाया गया, जिसकी सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) एवं Substandard (अवमानक) Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers का विक्रय/विनिमय/उत्पादन कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 04 व 05 ने दौराने बहस एवं कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers का उत्पादन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया जाकर गुजरात कॉ–ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि. द्वारा किया जाता है। प्रार्थी द्वारा सेम्पल वेन्डर से लिया गया है न कि निर्माता से। निर्माता से जिस अवस्था में खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है जिसके लिए अप्रार्थीगण उत्तरदायी नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers के लेबलिंग एवं पैकेजिंग में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाता है। उक्त Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers के मिथ्याछाप एवं अवमानक होने में अप्रार्थीगण का दोष न होकर निर्माता कम्पनी का दोष है। इसके अलावा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया पेय पदार्थ की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमुना से आम जन के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पडता है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टान्त 2018(1) FAC 118 Anil Kumar Godha vs State of Madhya Pradesh पेश कर अप्रार्थीगण के लिए नम्ररूख अपनाते हुए दोषमुक्त कर प्रकरण खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने लिखित जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति दर्ज कग्ते कर आरोपों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय में न्यायानुकूल निर्णय एवं सुनवाई हेतु नियम 3.1.1(8)(10) के तहत नियुक्त होने हेतु पैनल अधिवक्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत होना आवश्यक है उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पैनल अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया जो कानून की अवहेलना है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गये नमुने के संबंध में खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में अप्रार्थीगण को अवगत नहीं करवाया, जिससे अप्रार्थी सेम्पल की पुनः जांच के अधिकार से वंचित रहे गये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी सख्या 01 कि फर्म से नमुना सेम्पल लेते समय खाद्य सुरक्षा मानकों की अवहेलना की है जिसमें प्रार्थी द्वारा मौके पर दो स्वतंत्र गवाह की गवाही न लेकर मनगढत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर समस्त कार्यवाही की है, जो स्वीकार योग्य न होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की श्रवणसुदा बहस एवं अप्रार्थी संख्या 03 के लिखित जवाब पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म नम्बर 5ए अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.11.2015 को अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से मिलावट का सन्देह होने की स्थिति में Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय किया जाकर नियमानुसार उत्पाद पर नमुना कोड़ एवं क्रम संख्या एनडब्ल्युआर 187 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के प्रावधानों के तहत की गई है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers का नमुना कोड संख्या एनडब्ल्युआर 187 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers का नमुना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded Food) Under Section 3(1)(Zf)(C)(I) & Sub-Standard As Per Food Safety And Standards Act 2006 पाया गया। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अप्रार्थीगण को जरिये रजि.डाक प्रेषित कि जिसे एक माह से ज्यादा समय व्यतीत हो जाने के बावजुद भी अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब या पुनः जांच हेतु प्रार्थना पत्र नहीं किये जाने से प्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो न्यायोचित है। अप्रार्थीगण को अपना पक्ष एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

जवाब पेश करने हेतु नियमानुसार समय दिया गया था जिससे अप्रार्थीगण का यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं है कि अप्रार्थीगण को अपने पक्ष रखने के पर्याप्त अवसर नहीं दिये गये थे। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 01 कि फर्म से लिया गया नमुना एफएसएसआई के नियमों के तहत लिया जाकर विधिवत सिलचस्पा किया गया है जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर है। उक्त नमुने को विधिवत विशेष वाहक द्वारा खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की उपरोक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के तहत की गयी है।

अप्रार्थीगण को सप्लायर/निर्माता से संबंधित जानकारी हेतु लिखा गया लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिये जाने से अप्रार्थी संख्या 01 से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण तैयार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया कि नमूना पदार्थ का निर्माण उनके द्वारा अर्थात् उनकी फर्म द्वारा किया जाता है। किसी भी निर्माता फर्म का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य उपलब्ध कराना होना चाहिये परन्तु जब कोई कम्पनी इस लक्ष्य के विपरीत कार्य करती है, तो यह केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी गम्भीर अपराध है। यह सिर्फ गुणवत्ता की कमी नहीं बल्कि उपभोक्ता के विश्वास का भी हनन है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि कम्पनी का उत्पाद, के निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा, जो स्पष्ट उल्लंघन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में कहा है कि उपभोक्ता का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, इसलिये खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन कड़ा दंडनीय अपराध है। अप्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन आवश्यक प्रतीत होने पर Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers के निर्माता फर्म गुजरात कॉ–आपरेटिव मिल्क मार्केटिग फेडरेशन लि. शाखा जोधपुर को पक्षकार संयोजित कर जरिये नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने एवं अपनी ओर से न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखने से अप्रार्थी संख्या 2, 6 व 7 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में आयी गयी। खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers के लेबल पर उत्पादन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का अंकन है लेकिन प्रयुक्त अमचुर की प्रतिशत मात्रा का अंकन नहीं है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एंव लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.2.2(एफ) का उल्लंघन है एवं साथ ही नमुना पदार्थ में मिल्क फेट की मात्रा 3.78 प्रतिशत पायी गयी है जो मानक स्तर से कम पाया गया है, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लघन पाया गया, जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय/विनिमयन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है उक्त कृत्य 51 धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप Dairy Based Drink Sterilised And Homegenised Amulkool Mango Shakers का विक्रय/विनियमन/उत्पादन करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1, 4 एवं 5 पर संयुक्त रूप से 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 2 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 3, 6 व 7 पर संयुक्तरूप से 2,70,000/– अक्षरे दो लाख सत्तर हजार रूपये कुल 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली